भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1535

गुरूवार, 12 फरवरी, 2026/23 माघ, 1947 (शक)

युवा बेरोजगारी

1535. श्री के. आर. एन. राजेश कुमार:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 दिसंबर, 2025 की स्थिति के अनुसार, 18-35 वर्ष के आयु वर्ग के लिए शहरी, ग्रामीण और शैक्षणिक योग्यता (स्नातक और उससे ऊपर) के आधार पर पृथक्कृत वर्तमान बेरोजगारी दर क्या है;

(ख) विनिर्माण क्षेत्र में धीमी वृद्धि की समस्या का समाधान करने तथा बड़े पैमाने पर निर्यात-उन्मुख रोजगार के अवसर सृजित करने हेतु राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन के लिए मंत्रालय की कार्यनीति और निधि आवंटन का वर्ष 2025-26 के दौरान लक्षित रोजगार सृजन सहित ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकवीवाई) के तहत प्रशिक्षित एवं नियोजित व्यक्तियों की संख्या कितनी है तथा प्रशिक्षुओं द्वारा प्राप्त रोजगारों की गुणवत्ता के सत्यापन एवं ट्रैकिंग हेतु कौन-सा तंत्र विद्यमान है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ग): रोजगार और बेरोजगारी का आधिकारिक डाटा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से एकत्र किया जाता है जिसे वर्ष 2017-18 से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित किया जा रहा है।

नवीनतम वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, 15-29 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं की सामान्य स्थिति के आधार पर अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) वर्ष 2017-18 में 17.8% से घटकर वर्ष 2023-24 में 10.2% हो गई है। साथ ही, इसी अवधि के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में 15-29 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं की सामान्य स्थिति के आधार पर अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) 16.6% से घटकर 8.5% हो गई है और शहरी क्षेत्रों में 20.6% से घटकर 14.7% हो गई है।

इसके अलावा, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की सामान्य स्थिति के आधार पर अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) स्नातकों के लिए वर्ष 2017-18 में 17.2% से घटकर वर्ष 2023-24 में 13.0% हो गई है, और स्नातकोत्तर तथा उससे ऊपर के व्यक्तियों के लिए इसी अवधि में यह 14.6% से घटकर 12.4% हो गई है। ग्रामीण, शहरी और शिक्षा-वार विस्तृत जानकारी पीएलएफएस रिपोर्टों में उपलब्ध है, जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम

कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट https://www.mospi.gov.in/publications-reports पर देखा जा सकता है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, सरकार देश में विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) 2015 से अपनी प्रमुख योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) को कार्यान्वित कर रही है। पीएमकेवीवाई का वर्तमान संस्करण यानी पीएमकेवीवाई 4.0, जिसे वित्त वर्ष 2022-23 से लागू किया जा रहा है, यह उम्मीदवारों की रोजगार क्षमता में सुधार पर जोर देने के साथ-साथ मौजूदा कौशल इकोसिस्टम को अधिक लचीला, तेज और उभरती मांग के अनुरूप तैयार करके बाजार-उन्मुख और मांग आधारित कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने पर केंद्रित है। पिछले तीन वर्षों के दौरान पीएमकेवीवाई के तहत प्रशिक्षित, आकलित और प्रमाणित उम्मीदवारों की कुल संख्या का वर्ष-वार और घटक-वार विवरण अनुबंध में दिया गया है।

सरकार विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए, सभी क्षेत्रों में रोज़गार सृजन, रोज़गार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना नामक रोज़गार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को कार्यांवित कर रही है। 99,446 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली इस योजना का उद्देश्य 2 वर्षों की अवधि में देश में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगारों के सृजन को प्रोत्साहित करना है।

भारत में व्यापक मेक इन इंडिया पहल के हिस्से के रूप में केंद्रीय बजट 2025-26 में राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की घोषणा की गई थी। **राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन** का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में भारत की विनिर्माण क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से विस्तार देना तथा उत्पादन, निर्यात को बढ़ावा देने और आयात निर्भरता को कम करना है। यह भारत को एक प्रतिस्पर्धी वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए रणनीतिक प्रोत्साहनों (जैसे उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं), नवाचार, एमएसएमई सशक्तिकरण और अधिक निवेश के माध्यम से कार्य करता है। औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाने और मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करने से, इस मिशन से विशेष रूप से युवाओं और कुशल श्रमिकों के लिए पर्याप्त प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।

*****

अनुबंध

राज्य सभा के दिनांक 12.02.2026 के अतारांकित प्रश्न 1535 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

तीन वर्षों के दौरान प्रशिक्षित, आकलित और प्रमाणित तथा नियोजित बताए गए उम्मीदवारों की संख्या का वर्षवार और घटकवार विवरण इस प्रकार है:

अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी+एसपी)				पूर्व शिक्षा की मान्यता (आरपीएल)		
वित्तीय वर्ष	प्रशिक्षित	आकलित	प्रमाणित	उन्मुख	मूल्यांकित	प्रमाणित
वि.व. 23-24	3,88,948	1,99,258	1,94,607	1,51,014	86,449	81,387
वि.व. 24-25	17,33,503	12,39,094	11,33,603	3,04,816	2,11,234	1,97,417
वि.व. 25-26	1,20,965	2,14,055	2,59,770	10,738	23,278	27,566
योग	**28,24,702**	**21,87,821**	**20,65,572**	**7,12,492**	**5,89,188**	**5,61,278**